



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, Const.DIV. POKHARI

Ph. No/Fax No :- 01372-222156

E Mail :- eepwdpokhari@rediffmail.com

पत्रांक 315 / 11सी0

दिनांक 23 / 03 / 2019

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:- जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है0 सिविल/आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देराहदून का पत्र सं0 FP/UK/ROAD/38635/2019 दिनांक 22.02.2019।

महादेय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है0 सिविल/आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	इंगित आपत्ति	निराकरण
01	Justification is not authenticated by DFO. Upload Justification at para-D(i) form A, part I Authenticated by DFO	The Justification authenticated by DFO has been uploaded at required form A, part 1 online.
02	In the FRA certificate attached at para-K of online Part-I the proceedings of the meeting of gram sabha have not been attached.	The proceedings of the meeting of gram sabha have been attached in the FRA certificate attached at para-K of online Part-I
03	NOC of gram sabha has not been attached in the additional document instead the attendance sheet only has been attached.	NOC of gram sabha has been attached in the additional document.

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

23/3/19

प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)।

NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम-

जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इंटर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है० सिविल/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

यह मोटर मार्ग उड़ामाण्डा-रौता मोटर मार्ग के कि०मी० 23.00 (है० 6-8) से प्रारम्भ होकर ग्राम विरसण-सेरा तक प्रस्तावित है। इस मार्ग से ग्राम मज्याडी व विरसण-सेरा लाभान्वित होंगे, जिससे कि ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी लकड़ी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाएंगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

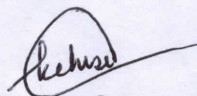
समरेखण-1

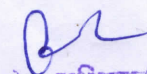
यह मोटर मार्ग उड़ामाण्डा-रौता मोटर मार्ग के कि०मी० 23.00 (है० 6-8) से प्रारम्भ होकर ग्राम विरसण-सेरा तक प्रस्तावित है। इस समरेखण पर क्षेत्रीय जनता की सहमति है तथा भू-गर्भवेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में 4 हेयरपिन बैण्ड पड़ते हैं तथा 63 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

समरेखण-2

यह मोटर मार्ग उड़ामाण्डा-रौता मोटर मार्ग के कि०मी० 23.00 (है० 6-8) से प्रारम्भ होकर ग्राम विरसण-सेरा तक प्रस्तावित है। इस समरेखण से क्षेत्रीय जानता भी सहमत नहीं हैं एवं भू-गर्भवेता द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में 7 हेयरपिन बैण्ड पड़ते हैं तथा 97 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु समरेखण न०-1 उपर्युक्त हैं।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)


वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र नाननाथ


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)


प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:-

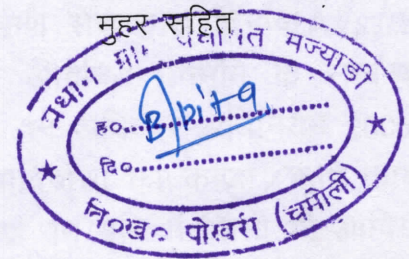
जनपद चमोली में पोखरी रा0इ0का0 चौंडी - विरसण सेरा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.75 हे0 सिविल/आरक्षित वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.27 हे0 कुल भूमि 2.02 हे0 सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है जनपद चमोली पोखरी में रा0इ0का0 चौण्डी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 23 कि0मी0 में से 5 कि0मी0 में सिविल/आरक्षित वन भूमि 1.75 हे0, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.27 हे0 भूमि हेतु जो संरेखण किया गया है उस सिविल वन भूमि में उसमें हमारी ग्रामसभा को कोई आपत्ति नहीं है। अतः मार्ग का निर्माण शीघ्र किया जाय।

ग्राम प्रधान/सदस्य

मुहर सहित



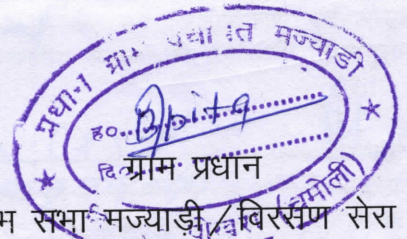
Sunita
सुनीता बुढोला
सदस्य
क्षेत्र पंचायत हरिशंकर
जनपद चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सभा मज्याड़ी को राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण सेरा तक निर्माण किये जाने वाले मोटर मार्ग पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है जिसे ग्राम सभा की सर्वसम्मति दी जा रही है।

दिनांक: 22/05/18

सुरेश्वरी
सरपंच वन पंचायत
मौजा मज्याड़ी
जनपद-चमोली



ग्राम सभा मज्याड़ी / विरसण सेरा
वि०ख० पोखरी, चमोली

- ①: सुनील सिंह
- ②: सुनील सिंह
- ③: सुनील सिंह
- ④: जगदीश सिंह
- ⑤: मोहन सिंह
- ⑥: भरत सिंह
- ⑦: सुनील सिंह
- ⑧: मनोज सिंह
- ⑨: सुनील सिंह
- ⑩: सुनील सिंह
- ⑪: सुनील सिंह
- ⑫: सुनील सिंह

- 19: सुनील सिंह
- 20: सुनील सिंह
- 21: सुनील सिंह
- 22: सुनील सिंह
- 23: सुनील सिंह
- 24: सुनील सिंह
- 25: सुनील सिंह
- 26: सुनील सिंह
- 27: सुनील सिंह



कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है० सिविल/आरक्षित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव:-

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-मज्याड़ी-बिरसण सेरा।

तहसील-पोखरी जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

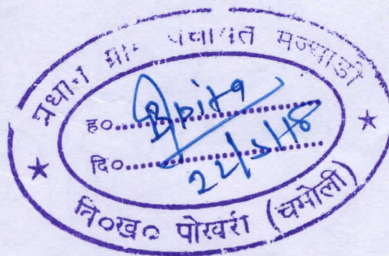
जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु (1.75 है० सिविल/आरक्षित वनभूमि / वन पंचायत, नाप भूमि 1.75 है०) अर्थात् कुल 3.5 है० भूमि का लो०नि०वि०/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनभूमि मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मज्याड़ी, बिरसण सेरा द्वारा दिनांक 22/5/18 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-मज्याड़ी, बिरसण सेरा के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

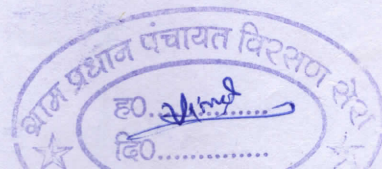
ह०/- *Rawat*
ग्राम (सचिव/सचिव)
ग्राम पंचायत अधिकारी
मुहर सहित
दि० 20-5-18



ह०/-

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित
उत्तरपंच वन पंचायत
मौजा मज्याड़ी
जनपद-चमोली
22/05/18

श्रीमती सुनीता बुटोला
सदस्य
जनपद चमोली



दिनांक... 22/05/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

मज्याडी

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	सत्यपाल सिंह डा० श्री जसपाल सिंह रावत	सत्यपाल सिंह
②	श्री रघुवीर सिंह रावत डा० श्री लाल सिंह	रघुवीर सिंह
③	प्रकाश सिंह रावत डा० श्री तोता सिंह	प्रकाश सिंह
4	उमेश सिंह रावत डा० श्री श्याम सिंह	उमेश सिंह
5	श्री मनवीर सिंह रावत डा० श्री जसपाल सिंह	मनवीर सिंह
6	श्रीमती कुमारी देवी डा० श्री उमेश सिंह	कुमारी देवी
7	अंजना देवी रावत डा० सत्यपाल सिंह रावत	अंजना देवी रावत
8	मेधा देवी रावत डा० हरि सिंह रावत	मेधा देवी
9	संगीता देवी रावत डा० राजेश सिंह रावत	संगीता देवी
10	सुरवीर सिंह डा० तोता सिंह रावत	सुरवीर सिंह
11	श्री भरत सिंह रावत डा० मोहन सिंह रावत	भरत सिंह
12	श्री सुमन सिंह डा० श्री सुमन सिंह	सुमन सिंह
13	श्री बलवीर सिंह डा० श्री महेन्द्र सिंह	बलवीर सिंह
14	श्री धर्मा सिंह रावत डा० श्री मुख्तार सिंह रावत	धर्मा सिंह
15	श्री लाल सिंह डा० प्रभाकर सिंह	लाल सिंह रावत
16	श्री अजीत सिंह डा० आनन्द सिंह	अजीत सिंह
17	श्री प्रदीप सिंह डा० मातार सिंह	प्रदीप सिंह
18	जगदीश सिंह डा० दर्शन सिंह	जगदीश सिंह
19	हेमराज सिंह डा० चन्द्र सिंह	हेमराज सिंह रावत
20	उदय सिंह डा० दौलत सिंह	उदय सिंह
21	वीर सिंह डा० चन्द्र सिंह	वीर सिंह

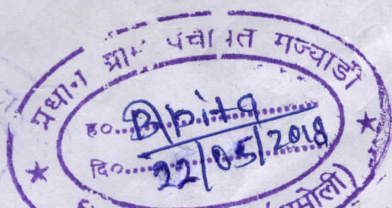
सुरेशी देवी

सरपंच वन पंचायत

मौजा मज्याडी

हो...

दि०...



22	दीपक सिंह डा० खान सिंह	दीपक रावत
23-	विनोद सिंह डा० श्री अवतार सिंह	विनोद सिंह
24	ताजव सिंह पंवार डा० गोपाल सिंह पंवार	विनोद सिंह
25	बलदेव सिंह रावत डा० श्री नारायण सिंह	बलदेव सिंह
26-	रमेश सिंह डा० भगत सिंह रावत	रमेश सिंह
27	बलदेव सिंह डा० जगत सिंह	बलदेव
28	गोविन्द सिंह डा० नरोत्तम सिंह	गोविन्द सिंह
29	प्रदीप सिंह डा० मातवरा सिंह	प्रदीप सिंह
30	दिनेश सिंह रावत डा० कल्याण सिंह	दिनेश सिंह
31	रेशा देवी वा० किशोरी सिंह रावत	रेशा देवी
32	अम्बा देवी रावत वा० हरनन्द सिंह रावत	अम्बा देवी
33	राम प्रसाद मलेठा डा० नारायण दल मलेठा	राम प्रसाद
34	पुष्पा देवी वा० सत्यपाल सिंह	पुष्पा देवी
35	लक्ष्मी देवी वा० जगदीश सिंह	लक्ष्मी देवी
36	दर्शन सिंह रावत डा० भजन सिंह रावत	दर्शन सिंह
37	श्री मातवरा सिंह डा० गजपाल सिंह	दर्शन सिंह
38	शान्ति देवी वा० अर्जुन सिंह	शान्ति देवी
39	शान्ति देवी वा० हर्षम सिंह	शान्ति देवी
40	विनीता देवी वा० वीरेंद्र सिंह	विनीता देवी
41	श्री मोहन सिंह रावत डा० श्याम सिंह	मोहन सिंह
42	मगनी देवी वा० गुलशन सिंह रावत	मगनी देवी
43	लक्ष्मण सिंह पंवार डा० कलमोहन पंवार	लक्ष्मण सिंह
44	वेद प्रकाश सिंह जेठानी अचन सिंह	वेद
45	सुरेशी देवी र. राम सिंह	सुरेशी देवी
46	रघुवर सिंह	रघुवर
47	वीरभरत सिंह	वीर

सुरेशी देवी
सरपंच वन पंचायत

पंचायत
हो.....
दि०.....

प्रधान मा. पंचायत मण्डली
हो.....
दि०.....

